डीन एवं नियंत्रक
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, झालावाड़ (राज0)

फोन नं0 :– 07432– 233388, फेक्स नं0 – 233233
Email : dean.jmc.jhalawar@rajasthan.gov.in
jhalawarmedical@yahoo.com

दिनांक : 16/10/2021

क्रमांक : जेएमसी/नियुक्ति/2021/4095–4100

–: आदेश :–

झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़ में सहायक आचार्य (आवश्यक अस्थायी आधार) के पदो को भरने हेतु दिनांक 11.10.2021 को आयोजित साक्षात्कार में स्थायी चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यार्थी को उनके नाम के सामने उल्लेखित पद एवं विभाग में एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क0सं0	चिकित्सक का नाम	चयनित पद का नाम	विभाग
1	डॉ0 आशा शर्मा	सहायक आचार्य (यूटीबी)	निश्चेतना विभाग
2	डॉ0 सुभाष चन्द्र मीणा	सहायक आचार्य (यूटीबी)	शिशु रोग विभाग
3	डॉ0 लक्ष्मीकान्त टांक	सहायक आचार्य (यूटीबी)	जनरल मेडिसिन विभाग
4	डॉ0 मनोहर लाल कारपेन्टर	सहायक आचार्य (यूटीबी)	अस्थि रोग विभाग

उपरोक्त चयनित चिकित्सक अपनी उपस्थिति डीन, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ को दिनांक 26.10.2021 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगे। अन्यथा नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी पर Jhalawar Hospital and medical college Personnel's (Recruitment and other conditions) employment rules 2017 लागू होगें।
- चयनित अभयर्थी को सेवा अवधि के दौरान कोई अवैतनिक अवकाश देय नहीं होगा।
- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पूर्व हो) के लिये प्रभावी रहेगी।
- **राजकीय सेवा में कार्यरत् चिकित्सक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही कार्यग्रहण करें।** यदि राजकीय सेवा में नही है तो चयनित अभ्यर्थी को राजकीय सेवा में नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 31 जुलाई 2021 के पश्चात् किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. निरीक्षण नहीं कराया हो इसका डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा।
- जब भी अभ्यर्थी बिना सूचना के 7 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जावेगी एवं अभ्यर्थी निर्धारित अवधि से पूर्व सेवा छोडना चाहता है तो उसे सेवा छोड़ने की दिनांक से एक माह पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभागाध्यक्ष के माध्यम से सूचित करना होगा, अन्यथा एक माह का वेतन संस्थान में जमा कराना होगा। इसके अभाव में उसे कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति देने के 10 दिवस के भीतर पेनकार्ड की फोटोप्रति आवश्यक रूप से लेखाशाखा में जमा करानी होगी। इसके अभाव में वेतन का आहरण नही किया जावेगा।
- नियमानुसार आकस्मिक अवकाश देय होगे।
- अंतिम संस्था से चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा एवं प्रोविजनल डिग्री कार्यग्रहण तिथि से 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ0 शिव भगवान शर्मा)
डीन
झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज
झालावाड

दिनांक 16/10/2021

कमांकः–जेएमसी/नियुक्ति /2021/4095-4100

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर एवं संयोजक झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़।
2. निजी सहायक कलक्टर महोदय, झालावाड़ एवं अध्यक्ष (एक्जूकेटिव कमेटी), झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़।
3. अधीक्षक एवं सदस्य सचिव, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़
4. सम्बंधित विभागाध्यक्ष .... झॉ0 हॉ0 एंव मेडि0 कॉ0, झालावाड़।
5. लेखा शाखा डीन कार्यालय, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़।
6. सम्बंधित चिकित्सक डॉ0 ....

(डॉ0 शिव भगवान शर्मा)
डीन
झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज
झालावाड